संख्या-178/इक्कीस-प्रकाशन/2024/कं0सं0-1750914

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रकाशन कोष्ठक,
उत्तर प्रदेश शासन ।

भाषा (प्रकाशन) अनुभाग लखनऊ : दिनांक 24 अप्रैल, 2024

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए अनुदान संख्या-039 के लेखा शीर्षक ''2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण-105-सरकारी प्रकाशन-03-विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन/प्रकाशन'' हेतु बजट आवंटन के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के विभागीय मैनुअलों, हैण्डबुकों, नियमावलियों, महत्वपूर्ण आदेशों के संकलनों एवं अन्य सन्दर्भ ग्रन्थों के प्रकाशन एवं उक्त कार्य हेतु कार्यरत प्रकाशन कोष्ठक के कार्मिकों के लिए श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-2025 में प्राविधानित धनराशि रूपये 59.26 लाख (उनसठ लाख छब्बीस हजार मात्र) के व्यय की निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत उनके सम्मुख उल्लिखित धनराशियों की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- उपर्यक्त धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में सम्बन्धित मदों पर व्यय की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अनुदान संख्या-039 के लेखा शीर्षक 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण्-105-सरकारी प्रकाशन-03-विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन/प्रकाशन'' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

2- उपर्युक्त धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी, भाषा विभाग, द्वारा आहरित की जायेगी ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2058001050300 (विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन/ प्रकाशन)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	039	2058001050300 विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन / प्रकाशन	01 वेतन	27,50,000/- (रुपये सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र)
2	039	2058001050300 विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन / प्रकाशन	02 मजदूरी	55,000 (रुपये पचपन हजार मात्र)
3	039	2058001050300 विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन / प्रकाशन	03 मंहगाई भत्ता	15,13,000 (रुपये पन्द्रह लाख तेरह हजार मात्र)
4	039	2058001050300 विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन / प्रकाशन	04 यात्रा व्यय	5,000 (रुपये पांच हजार मात्र)
5	039	2058001050300 विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन / प्रकाशन	06 अन्य भत्ते	55,000 (रुपये पचपन हजार मात्र)
6	039	2058001050300 विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन / प्रकाशन	07 मानदेय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
7	039	2058001050300 विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन / प्रकाशन	08 कार्यालय व्यय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
8	039	2058001050300 विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	15,000 (रुपये पंद्रह हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		संकलन / प्रकाशन		
9	039	2058001050300 विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन / प्रकाशन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
10	039	2058001050300 विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन / प्रकाशन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5,000 (रुपये पांच हजार मात्र)
11	039	2058001050300 विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन / प्रकाशन	18 प्रकाशन	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
12	039	2058001050300 विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन / प्रकाशन	42 अन्य व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
13	039	2058001050300 विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन / प्रकाशन	45 अवकाश यात्रा व्यय	15,000 (रुपये पंद्रह हजार मात्र)
14	039	2058001050300 विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन / प्रकाशन	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
15	039	2058001050300 विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन / प्रकाशन	49 चिकित्सा व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
16	039	2058001050300 विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन / प्रकाशन	51 वर्दी व्यय	3,000 (रुपये तीन हजार मात्र)
17	039	2058001050300	55	1,50,000

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन/ प्रकाशन	मकान किराया भत्ता	(रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
18	039	2058001050300 विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन/ प्रकाशन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**रूपये 59,26,000/- (रुपये उनसठ लाख छब्बीस हजार मात्र)**

महायोग	**रूपये 59,26,000/- (रुपये उनसठ लाख छब्बीस हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-11/2023/बी-1-648/दस-2023-1262दस-2023-12(2)/2024, दिनांक 27 सितम्बर, 2024 एवं संख्या–1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक- 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

संख्या-178(1)/इक्कीस-प्रकाशन/2024/कं0सं0-1750914, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा, प्रयागराज।
(4) वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान,हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
(5) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम , भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
(6) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) आहरण एवं वितरण अधिकारी/ भाषा (लेखा) अनुभाग को 02 अतिरिक्त, प्रतियों में।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
(9) भाषा (उर्दू) अनुभाग-4।
(10) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अभिषेक कुमार 'अखिल')
अनुसचिव(भाषा),
उत्तर प्रदेश शासन ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।